



BEFORE THE HON'BLE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, ALLAHABAD BENCH COMPANY APPLICATION NO. CA(CAA) No. 04/ALD of 2024

In the Matter of Companies Act, 2013;

And In the matter of Sections 230-232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder

And

In the matter of Scheme of Arrangement between Umang Dairies Limited, Panchmahal Properties Limited and Bengal & Assam Company Limited and their respective shareholders and creditors ADVERTISEMENT OF THE NOTICE CONVENING MEETING OF EQUITY SHAREHOLDERS AND UNSECURED CREDITORS OF UMANG DAIRIES LIMITED

NOTICE is hereby given that pursuant to directions of Hon'ble National Company Law Tribunal, Allahabad Bench (**Tribunal**), vide Order dated 14th May, 2024 (Tribunal Order), meetings of Equity Shareholders and Unsecured Creditors of Umang Dairies Limited ('Company') will be held on Saturday, 3rd August 2024 at 10.30 A.M. and 1.00 P.M. respectively, for the purpose of considering, and if thought fit, approving with or without modification(s), the Scheme of Arrangement amongst Umang Dairies Limited, Panchmahal Properties Limited and Bengal & Assam Company Limited and their respective shareholders and creditors (Scheme).

Pursuant to the Tribunal Order and as directed therein, the aforesaid Meetings will be held through Video Conferencing (VC), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations)

TAKE FURTHER NOTICE that the Equity Shareholders and Unsecured Creditors shall have the facility of casting their votes on the Resolution for approval of the Scheme either by remote electronic voting ('remote e-voting') or by e-voting at the Meeting during the respective voting period stated below:

Manner of voting	Commencement of voting	End of voting
Remote e-voting	Thursday, 25th July, 2024 at 10.00 A.M.	Friday, 2nd August, 2024 at 5.00 P.M.
E-voting at the Meeting	Saturday, 3rd August, 2024 (upon voting being announced by the Chairperson of the Meeting)	Saturday, 3rd August, 2024 (till the voting is open)

Remote e-voting and e-voting at the Meeting shall not be allowed beyond the respective voting period, as stated above. Equity Shareholders and Unsecured Creditors may exercise their votes in only one mode i.e., either by remote e-voting or by e-voting at the Meeting. Equity Shareholders and Unsecured Creditors who cast their votes by remote e-voting may attend the Meeting, but will not be entitled to cast their votes again.

Voting rights of the Equity Shareholders shall be in proportion to the extent of their shareholding in proportion to would remain the Equity share capital of the Company on Friday, 21st June, 2024 ('cut-off date'). Only those Shareholders whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories, as on the cut-off date will be entitled to cast their votes by remote e-voting / e-voting at the Meeting.

Voting rights of Unsecured Creditors shall be in proportion to the amount due for payment by the Company on Wednesday, 31st January, 2024 ('cut-off date'). Only those Unsecured Creditor whose name appears in the list of Unsecured Creditors as on the cut-off date will be entitled to entitled to cast their votes by remote e-voting/e-voting at the Meeting.

The Company has engaged Central Depository Services (India) Limited ('CDSL') as the agency for providing for both remote e-voting and e-voting at the Meeting.

The Tribunal has appointed Shri Adarsh Bhushan, Advocate, as Chairperson, Shri Varad Nath, Advocate, as Co-Chairperson for the Meeting and Shri Anuj Tiwari, Company Secretary in Practice, as Scrutinizer for the

The Company has completed despatch of Notice and the Statement together with the accompanying documents through registered post/registered parcel/speed post and also through email to Equity Shareholders whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s) as on 21st June 2024 ('cut-off date') and to Unsecured Creditors whose outstanding balance is more than INR 50,000/- as on 31st January 2024 ('cut-off date'). These documents are also available on the website of the Company (https://www.umangdairies.com/Scheme-of-Arrangement.html), CDSL (www.evotingindia.com), National Stock Exchange of India Limited (NSE - www.nseindia.com) and BSE Limited (BSE - www.bseindia.com).

Unsecured Creditors as on 31st January 2024 who have not received the login credentials for the proposed meeting may contact at pankaj.kamra@jkmail.com to obtain their login credentials for e-voting facility.

Equity Shareholders and Unsecured Creditors desirous of obtaining physical copies of aforesaid documents, free charge, may send a request to the Company Secretary through email pankaj.kamra@jkmail.com or by post to the Company at its registered office at Gajraula Hasanpur Road, 3 Km Stone, Dist. Jyotiba Phule Nagar, Amroha, Gajraula, Uttar Pradesh – 244 235. Since the Meetings are being held through VC, Equity Shareholders and Unsecured Creditors will not be able to appoint proxies for the aforesaid Meetings.

Any query/grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Shri Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 1800 22 55 33.

The Voting Results shall be declared by the Chairperson of the Meetings within two working days from the conclusion of the meeting and the same will be displayed on the Notice Board of the Company at its Registered Office posted on the Company's website at https://www.umangdairies.com/Scheme-of-Arrangement.html and on CDSL's e-voting website. Such results will also be forwarded by the Company to NSE and BSE.

The Resolution for approval of the Scheme shall, if passed by a majority in number representing three-fourth in

value of the Equity Shareholders and Unsecured Creditors of the Company casting their votes, as aforesaid, pursuant to the Section 230 of the Act, and majority of Equity Shareholders in Public Category be deemed to have been duly passed on the date of the meetings i.e. 3rd August 2024. The Scheme, if approved at the Meetings, will be subject to approval of Tribunal and such other approval(s), permission(s) and sanction(s) of regulatory authorities, as may be necessary

> For Umang Dairies Limited Pankaj Kamra Company Secretary

Place: New Delhi Dated: 1st July, 2024 माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के समक्ष कंपनी आवेदन संख्या सीए (सीएए) संख्या 04/एएलडी 2024 कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;

तथा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 तथा अन्य लागू प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के मामले में तथा

चमंग डेयरीज लिमिटेड, पंचमहल प्रॉपर्टीज लिमिटेड तथा बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड और **उनके संबंधि**त शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच व्यवस्था योजना के मामले में

उमंग डेयरीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों तथा असुरक्षित

लेनदारों की बैठक बुलाने संबंधी सूचना का विज्ञापन

एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ (न्यायाधिकरण) के निर्देशानुसार, दिनांक 14 मई, 2024 के आदेश (न्यायाधिकरण आदेश) के अनुसार, उमंग डेयरीज लिमिटेड ('कंपनी') के इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित लेनदारों की बैठकें क्रमशः शनिवार, 3 अगस्त 2024 को सुबह 10.30 बजे और दोपहर 1.00 बजे आयोजित की जाएंगी, जिसका उद्देश्य उमंग डेयरीज लिमिटेड, पंचमहल प्रॉपर्टीज लिमिटेड और बंगाल एंड असम कंपनी लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों और लेनदारों (योजना) के बीच व्यवस्था की योजना पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के उसे अनुमोदित करना है।

न्यायाधिकरण के आदेश के अनुसार और उसके निर्देशानुसार, बैठकें कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीबद्धता विनियम) के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी।

कृपया ध्यान दें कि इक्विटी शेयरधारकों और असुरक्षित ऋणदाताओं को योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव पर अपना वोट दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ('रिमोट ई—वोटिंग') या नीचे बताई गई संबंधित मतदान अवधि के दौरान बैठक में ई—वोटिंग द्वारा डालने की सविधा होगी:

-		
मतदान का तरीका	मतदान की शुरुआत	मतदान की समाप्ति
रिमोट ई—वोटिंग	गुरुवार, 25 जुलाई, 2024 प्रातः 10.00 बजे	शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024 को शाम 5.00 बजे
बैठक में ई-वोटिंग	शनिवार, 3 अगस्त, 2024 (बैठक के अध्यक्ष द्वारा मतदान की घोषणा किए जाने पर)	शनिवार, 3 अगस्त, 2024 (मतदान खुलने तक)

जैसा कि ऊपर बताया गया है, रिमोट ई–वोटिंग और बैठक में ई–वोटिंग को संबंधित मतदान अवधि से परे अनुमति नहीं दी जाएगी। इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार केवल एक ही तरीके यानी रिमोट ई—वोटिंग या बैठक में ई—वोटिंग के जरिए से अपना वोट दे सकते हैं। इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित ऋणदाता जो रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डालते हैं, वे बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

इक्विटी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार **शुक्रवार, 21 जून, 2024 (कट—ऑफ तिथि)** को कंपनी की पूरी तरह से चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में उनकी शेयरधारिता की सीमा के अनुपात में होंगे। केवल वे शेयरधारक जिनका नाम कट—ऑफ तिथि के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लामकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

असुरक्षित ऋणदाता के मतदान अधिकार **बुधवार, 31 जनवरी, 2024 (कट—ऑफ तिथि)** को कंपनी द्वारा भुगतान के लिए देय राशि के अनुपात में होंगे। केवल वे असुरक्षित ऋणदाता जिनका नाम कट-ऑफ तिथि के अनुसार असुरक्षित ऋणदाताओं की सूची में है, बैठक में रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डालने के हकदार होंगे।

कंपनी ने रिमोट ई-योटिंग और बैठक में ई-योटिंग दोनों की व्यवस्था करने के लिए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') को एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है।

न्यायाधिकरण ने श्री आदर्श भूषण, अधिवक्ता को अध्यक्ष, श्री वरद नाथ, अधिवक्ता को सह—अध्यक्ष तथा श्री अनुज तिवारी, कंपनी सचिव (प्रैक्टिस) को उक्त बैठकों के लिए संवीक्षक नियुक्त किया है।

कंपनी ने नोटिस और स्टेटमेंट के साथ-साथ संलग्न दस्तावेजों को पंजीकृत डाक/पंजीकृत पार्सल/स्पीड पोस्ट के माध्यम से और साथ ही इक्विटी शेयरबारकों को ईमेल के माध्यम से भी भेजा है, जिनके ईमेल पते 21 जून 2024 ('कट-ऑफ डेट') तक कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकत हैं और असरक्षित लेनदारों को जिनका बकाया शेष 31 जनवरी 2024 ('कट-ऑफ डेट') तक 50,000 / - रुपये से अधिक है। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट (https://www.umangdairies.com/Scheme-of-

Arrangement.html), CDSL (www.evotingindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (NSE www.nseindia.com) और BSE लिमिटेड (BSE-www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

31 जनवरी 2024 तक जिन असरक्षित लेनदारों को प्रस्तावित बैठक के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त नहीं हुए हैं, वे ई—वोटिंग सुविधा के लिए अपने लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त करने के लिए pankaj.kamra@jkmail.com पर संपर्क कर सकते हैं।

उपरोक्त दस्तावेजों की भौतिक प्रतियां नि:शुल्क प्राप्त करने के इच्छुक इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार, कंपनी सचिव को ईमेल चंदांर.ांउतं / राउंपस.बवउ के माध्यम से या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय गजरीला हसनपुर रोड, 3 किमी स्टोन, जिला ज्योतिबा फुले नगर, अमरोहा, गजरौला, उत्तर प्रदेश — 244 235 पर डाक द्वारा अनुरोध भेज सकते हैं। चूंकि ये बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा रही हैं, इसलिए इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदार उक्त बैठकों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त नहीं कर

इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित कोई भी प्रश्न/शिकायत श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक, (सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराधन पयूचरएक्स, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई – 400013 को संबोधित की जा सकती है या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकते हैं या 1800 22 55 33 पर कॉल कर सकते हैं।

मतदान के परिणाम बैठक के समापन से दो कार्य दिवसों के भीतर बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जाएंगे और इसे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा, जिसे कंपनी की वेबसाइट https://www.umangdairies.com/Schemeof-Arrangement.html पर और सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा, ऐसे परिणाम कंपनी द्वारा एनएसई और बीएसर्ड को भी भेजे जाएंगे।

योजना के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव, यदि कंपनी के इक्विटी शेयरधारक और असुरक्षित लेनदारों के वोटों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाले बहुमत से पारित हो जाता है, जैसा कि पूर्वोक्त, अधिनियम की धारा 230 के अनुसार, बैठकों की तिथि यानी 3 अगस्त 2024 को विधिवत पारित माना जाएगा। यदि योजना को बैठकों में मंज़री मिल जाती है, तो यह ट्रिब्यूनल के अनुमोदन और नियामक प्राधिकरणों के ऐसे अन्य अनुमोदन, अनुमति और मंजूरी के अधीन होगी, जो आवश्यक हो।

उमंग डेयरीज लिमिटेड के लिए

हस्ता./-पंकज कामरा कंपनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 01 जुलाई, 2024